

EX-GRATIA SUPPORT BENEFIT SCHEME (ESBS)

DETAILS OF THE WELFARE SCHEME 'EX-GRATIA SUPPORT BENEFIT SCHEME' FOR STRANDED / ABANDONED SEAFARERS FAMILY

1. Pursuant to the objects of the Seafarers' Welfare Fund Society (herein after referred to as the SWF Society) as defined in Article 3(XV) of the Memorandum of Association of the Society, the nominee(s) of the Indian seafarer, as being eligible in terms of provisions of rule 3 herein below, may be granted the financial assistance under the '**Ex-Gratia Support Benefit Scheme (ESBS)** ', under the circumstances and to the extent detailed herein below.
2. Such financial assistance on being stranded / abandoned of an Indian seafarer shall be granted at the absolute discretion of the society and such financial assistance may be dispensed with and / or curtailed /enhanced, suspended or completely withdrawn at any time without any prior notice. The availability of such financial assistance under the 'Ex-Gratia Support Benefit Scheme' to the eligible beneficiary of the stranded/abandoned seafarer does not in any manner confer or create any prescriptive right whatsoever and shall not be called in question.

3. Eligibility.

The financial assistance under the 'Ex-Gratia Support Benefit Scheme' will be paid to the seafarer's next of kin of Standard/abandoned, by their owners/ employers/RPSL till their standard period or maximum of 12 months whichever is earlier. The Seafarers Welfare Fund Society will obtain the Bonafide of Stranded seafarers' details from the Shipping Master i.e. from Govt. Shipping Office / Seamen's Employment Office / D.G. Shipping (Crew Branch), & on their confirmation about the date from which the seafarer stranded & the next of kin details / family details, the assistance shall be paid by the SWFS to the next of kin of the stranded seafarers, after two months from the date of being stranded/ abandonment.

4. Quantum.

The quantum of financial assistance under this scheme shall be ₹.10,000/- per month (Rs. Ten Thousand only Per month) or maximum of ₹.1,20,000/- (Rs. One lac Twenty Thousand only) for 12 months period, whichever is earlier, which will be paid as 'Ex-gratia support' to the Standard seafarer's family. **(amended to ₹20,000/- p.m. for the family of those seafarers who are stranded/abandoned on or after 1.1.2026)**

5. The Ex-Gratia Support under this Scheme will be commenced only after 2 months from the date of being stranded/abandonment of seafarer or as directed by the Shipping Master / Director, Seamen's Employment Office / Deputy Director General of Shipping (Crew Branch).
6. For the clarification about stranded and abandonment of seafarers, the Society will follow the definition as given in ILO-MLC Rules.
7. The Seafarers Welfare Fund Society will obtain the Bonafide of Stranded seafarers' details from the Shipping Master i.e. Govt. Shipping Office OR Seamen's Employment Office OR Directorate General of Shipping (Crew Branch), and on their confirmation about the Bonafide employment of the seafarer and the date from which the seafarer

Stranded / abandoned & the nomination details / family details, the assistance shall be paid by the SWFS to the family of stranded seafarers, as per rule 5 above.

8. Application for financial assistance under this scheme is to be made in the prescribed form along with documents as given in the application form to prove the eligibility and identity and submitted to the SWFS within 2 months from the date of being stranded/abandonment of the seafarer.
9. Notwithstanding anything contained herein above in all doubtful/disputed and/or exceptional cases, the Committee of Management (the COM) of the SWF Society may examine and decide the cases, on case-to-case basis, and its decision shall be final.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)
(Registered Charitable Trust–Regn. No.F/1364/BOM)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700,

Email- swfs.dgs@govcontractor.nic.in / swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

APPLICATION FORM FOR “EX-GRATIA SUPPORT BENEFIT SCHEME (ESBS) FOR FAMILY OF ABANADONED SEAFARERS”

(Please refer notes given on next page before submitting this application form)

<u>PART A : DETAILS OF THE STRANDED/ABANDONED SEAFARER</u>			
1)	Seafarer's Name in full	:	
2)	CDC Number (Attach copy of relevant page showing CDC No. & Name)	:	
3)	Date of being stranded/abandoned	:	
4)	Place/Port & Country where stranded/abandoned	:	
5)	Name of Vessel	:	
6)	Details of vessel owner/shipping Co./RPSL Co. through which seafarer was engage.	:	
7)	Employment Contract Number & Duration (If available)	:	
<u>PART B : DETAILS OF NEXT OF KIN / FAMILY MEMBER APPLYING</u>			
1)	Full Name	:	Mrs. / Mr.
2)	Relationship with Seafarer	:	
3)	Address for Correspondence	:	
4)	Contact Number	:	
5)	Email ID (if any):	:	
6)	Aadhaar / Voter ID / Other ID Proof Number (Please attach copy of document self-attested)	:	
<u>PART C : BANK DETAILS FOR FINANCIAL ASSISTANCE (NEFT/RTGS)</u>			
1)	Name of Account Holder	:	
2)	Bank Name	:	
3)	Branch Name & Address	:	
4)	Account Type & Account Number	:	
5)	IFSC Code	:	
(Bank Account should be in the name of applicant and it should be normal saving account) (Copy of Bank Passbook showing name, A/c. details be attached.)			

PART D : DOCUMENTS TO BE ENCLOSED

Please tick the documents attached (self-attested copies):

- ☐ Copy of Seafarer's CDC
- ☐ Proof of Employment (Contract / Letter of Appointment), if available
- ☐ Relationship Proof (Birth Certificate / Marriage Certificate etc.)
- ☐ Relationship Proof (Birth Certificate / Marriage Certificate etc.)
- ☐ Cancelled Cheque / Bank Passbook copy
- ☐ Any other supporting documents

PART E : DECLARATION

I, hereby inform you that my son/daughter/spouse Mr./Ms _____ has _____ joined _____, IMO no. _____, on _____ and the ship has been abandoned by the owners/operators and my son/daughter/spouse has not been paid salary from _____ (Date). I am in dire need of funds to run my household and request you to provide financial assistance. I understand that financial assistance of Rs.10000 per month will be provided for a maximum of 12 months, or return of seafarer, whichever is earlier. **(amended to ₹20,000/- p.m. for the family of those seafarers who are stranded/abandoned on or after 1.1.2026)**

I, the undersigned, hereby declare that all information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that furnishing false information may result in rejection of the application and/or legal action as per law applicable.

I also acknowledge that the financial assistance under the "Ex-gratia Support Benefit Scheme (ESBS) for family of Abandoned Seafarer, is a purely discretionary support extended by the Seafarers Welfare Fund Society (SWFS) and that no prescriptive right is created through this application.

Signature of the Applicant: _____

(and relation with seafarer) **Name:** _____

Date: _____

Place: _____

For Office Use Only

- Date of Receipt: _____
- Verified by: _____
- Recommendation: _____
- Remarks: _____
- Approved by: _____ Date: _____

अनुग्रह सहायता लाभ योजना (ईएसबीएस)

स्टैंडेड/परित्यक्त नाविकों के परिवार के लिए कल्याणकारी योजना 'एक्स-ग्रेसिया सपोर्ट बेनिफिट स्कीम' का विवरण

1. सोसाइटी के एसोसिएशन के जापनके अनुच्छेद 3(XV) में परिभाषित सोसाइटी के नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (जिसे इसके बाद एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी के रूप में संदर्भित किया गया है) के उद्देश्यों के अनुसार, भारतीय नाविक के नामित व्यक्ति, जैसा कि यहां नीचे नियम 3 के प्रावधानों के संदर्भ में योग्य हैं, को यहां नीचे दिए गए परिस्थितियों और सीमा तक 'अनुग्रह सहायता लाभ योजना (ईएसबीएस)' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
2. किसी भारतीय नाविक के फंसे/परित्यक्त होने पर ऐसी वित्तीय सहायता सोसायटी के पूर्ण विवेक पर दी जाएगी और ऐसी वित्तीय सहायता को किसी भी पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय समाप्त/कम/बढ़ाया, निलंबित या पूरी तरह से वापस लिया जा सकता है। छोड़े गए या परित्यक्त नाविक के पात्र लाभार्थी को 'अनुग्रह सहायता लाभ योजना' के तहत इस तरह की वित्तीय सहायता की उपलब्धता किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का निर्देशात्मक अधिकार प्रदान नहीं करती है और इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

3. पात्रता/

‘अनुग्रह सहायता लाभ योजना’के तहत वित्तीय सहायता, फंसे हुए/परित्यक्त नाविकों के निकटतम परिजनों को उनके मालिकों/नियोक्ताओं/आरपीएसएल द्वारा उनकी मानक अवधि या अधिकतम 12 महीने जो भी पहले हो, तक दी जाएगी। नाविक कल्याण निधि सोसायटी फंसे हुए नाविकों के विवरण की बोनाफाइड शिपिंग मास्टर से प्राप्त करेगी, अर्थात् सरकारी नौवहन कार्यालय/नाविक रोजगार कार्यालय/नौवहन महानिदेशालय (क्रू शाखा), और उनके द्वारा फंसे हुए नाविकों की तारीख और उनके अगले संबंधी विवरण/परिवार के विवरण की पुष्टि करने के बाद, सहायता का भुगतान एसडब्ल्यूएफएस द्वारा फंसे हुए नाविकों के अगले संबंधी को, फंसे/परित्याग की तारीख से दो महीने बाद किया जाएगा।

4. राशी

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि ₹. 10,000/- प्रति माह (केवल प्रति माह दस हजार रुपये) या अधिकतम ₹. 1,20,000/- (केवल एक लाख बीस हजार रुपये) 12 महीने की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, जो मानक नाविक के परिवार को 'एक्स-ग्रेसिया सहायता' के रूप में भुगतान किया जाएगा। (1.1.2026/- रुपये प्रति माह के लिए उन नाविकों के परिवार के लिए संशोधित किया गया जो 1.1.2026 को या उसके बाद फंसे/परित्यक्त हैं)

5. इस योजना के तहत एक्स-ग्रेसिया सहायता नाविक के फंसे/परित्यक्त होने की तारीख से 2 महीने बाद या शिपिंग/ निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय/नौवहन उप महानिदेशक (चालक दल शाखा)। मास्टर के निर्देश पर ही शुरू की जाएगी
6. फंसे हुए और परित्यक्त नाविकों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए, सोसायटी आईएलओ-एमएलसी नियमों में दी गई परिभाषा का पालन करेगी।
7. नाविक कल्याण कोष सोसायटी, जहाज़ मालिक अर्थात् सरकारी जहाज़ कार्यालय या नाविक रोजगार कार्यालय या जहाज़ महानिदेशालय (चालक दल शाखा) से फंसे नाविकों के विवरण की प्रामाणिकता प्राप्त करेगी और नाविक के प्रामाणिक रोजगार और जिस तारीख से नाविक का प्रामाणिक रोजगार है, उसके बारे में उनकी पुष्टि पर फंसा हुआ/परित्यक्त और नामांकन विवरण/परिवार का विवरण, सहायता का भुगतान एसडब्ल्यूएफएस द्वारा फंसे हुए नाविकों के परिवार को नियम 5 के अनुसार किया जाएगा।

8. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पात्रता और पहचान साबित करने के लिए आवेदन प्रपत्र में दिए गए दस्तावेजों के साथ किया जाना है और फंसे हुए/नाबर्दास्त होने की तारीख से 2 महीने के भीतर एसडब्ल्यूएफएस को प्रस्तुत किया जाना है।
9. उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद सभी संदिग्ध/विवादित और/या असाधारण मामलों में, एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी की प्रबंधन समिति (सीओएम) मामले की जांच और मामले के आधार पर निर्णय ले सकती है, और उसका निर्णय अंतिम होगा।

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, आर. के. मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नं.. 8097552900/8097553700 ,

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

"परित्यक्त नाविकों के परिवार के लिए एक्स-ग्रेसिया सपोर्ट बेनिफिट स्कीम (ईएसबीएस) के लिए

आवेदन पत्र"

(कृपया इस आवेदन पत्र को जमा करने से पहले अगले पृष्ठ पर दिए गए नोट्स देखें)

भाग : 1 फंसे/परित्यक्त नाविकों का विवरण			
1)	नाविक का पूरा नाम	:	
2)	सीडीसी नंबर (सीडीसी संख्या और नाम दर्शाने वाले प्रासंगिक पृष्ठ की प्रति संलग्न करें)	:	
3)	फंसे/परित्यक्त होने की तारीख	:	
4)	स्थान/पोर्ट और देश जहां फंसा हुआ/परित्यक्त	:	
5)	जलयान का नाम	:	
6)	जलयान मालिक/नौवहन कंपनी का विवरण/आरपीएसएल कंपनी। जिसके माध्यम से नाविक लगा हुआ था।	:	
7)	रोजगार अनुबंध संख्या और अवधि (यदि उपलब्ध हो)	:	
भाग : 2 के निकटतम संबंधी का विवरण/परिवार के सदस्य आवेदन कर रहे हैं			
1)	पूरा नाम	:	श्रीमती/श्री
2)	नाविक के साथ संबंध	:	
3)	पत्राचार के लिए पता	:	
4)	संपर्क नंबर	:	
5)	ईमेल आईडी (यदि कोई हो)	:	
6)	आधार/वोटर आईडी/अन्य पहचान प्रमाण संख्या (कृपया दस्तावेज़ की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)	:	

भाग : 3 वित्तीय सहायता के लिए बैंक विवरण (एनईएफटी/आरटीजीएस)			
1)	खाता धारक का नाम	:	
2)	बैंक का नाम	:	
3)	शाखा का नाम और पता	:	
4)	खाता प्रकार और खाता संख्या	:	
5)	आईएफएससी कोड	:	
(बैंक खाता आवेदक के नाम पर होना चाहिए और यह सामान्य बचत खाता होना चाहिए) (बैंक पासबुक की प्रति जिसमें नाम दिखाया गया है, ए/सी। विवरण संलग्न करें)			

भाग D : संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज <u>कृपया संलग्न दस्तावेजों (स्व-सत्यापित प्रतियों) पर ✓ (टिक) करें।</u>
--

- ☐ नाविक के सीडीसी की प्रति
- ☐ रोजगार का प्रमाण (अनुबंध/नियुक्ति पत्र), यदि उपलब्ध हो
- ☐ अगले परिजन का पहचान प्रमाण (आधार/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट आदि)
- ☐ संबंध प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/विवाह प्रमाण पत्र आदि)
- ☐ रद्द किया गया चेक/बैंक पासबुक कॉपी
- ☐ कोई अन्य सहायक दस्तावेज: _____

भाग E : घोषणा

मैं, आपको सूचित करता हूँ कि मेरा बेटा/बेटी/जीवनसाथी श्री _____/एमएस ने एमवी, आईएमओ नंबर पर _____ शामिल किया है, और जलयान को मालिकों/ऑपरेटरों द्वारा छोड़ दिया गया है और मेरे बेटे/बेटी/जीवनसाथी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ----- तिथि)। मुझे अपने घर चलाने के लिए धन की सख्त जरूरत है और आपसे अनुरोध है कि आप वित्तीय सहायता प्रदान करें। मैं समझता हूँ कि 10000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता अधिकतम 12 महीनों के लिए, या नाविक की वापसी, जो भी पहले हो, प्रदान की जाएगी। (1.1.2026/- रुपये प्रति माह के लिए उन नाविकों के परिवार के लिए संशोधित किया गया जो 1.1.2026 को या उसके बाद फंसे/परित्यक्त हैं)

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि गलत जानकारी देने के परिणामस्वरूप आवेदन की अस्वीकृति और/या लागू कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि "परित्यक्त नाविक के परिवार के लिए अनुग्रह सहायता लाभ योजना (ईएसबीएस) के तहत वित्तीय सहायता, नाविक कल्याण कोष सोसायटी (एसडब्ल्यूएफएस) द्वारा विस्तारित विशुद्ध रूप से विवेकाधीन सहायता है और इस आवेदन के माध्यम से कोई निर्धारित अधिकार नहीं बनाया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर: (और नाविक के साथ संबंध)

नाम: _____

दिनांक: _____

स्थान: _____

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

- प्राप्ति की तारीख : _____
- द्वारा सत्यापित : _____
- सिफारिश : _____
- टिप्पणी : _____
- द्वारा अनुमोदित : _____ तारीख : _____